कार्यालय मुख्य वन सरंक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांकः– 104 /11–सी–FP/UP/Road/25904/2017, लखनऊ, दिनांकः जुलाई 13 ,2023

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),
भारत सरकार,
पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र),
केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।

विषयः– जनपद–उन्नाव में प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग द्वारा दही चौकी पावर हाउस से अग्नि शमन प्रशिक्षण केन्द्र दोस्तीनगर–उन्नाव तक बाईपास रोड के निर्माण में प्रभावित 7.3624 हे0 आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 376 वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में।

संदर्भः– भारत सरकार का पत्रांक–8बी/यू0पी0/06/104/2023/एफ0सी0/182, दिनांक 14.06.2023 एवं मुख्य वन संरक्षक, लखनऊ मण्डल, लखनऊ का पत्रांक–136/14–10–4, दिनांक 11.07.2023

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने की कृपा करें। भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण में की गयी आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण कर वांछित सूचना एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख मुख्य वन संरक्षक, लखनऊ मण्डल, लखनऊ के उपरोक्त पत्रांक–136/14–10–4, दिनांक 11.07.2023 द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है।

अतः उपरोक्त पत्र की छायाप्रति सहित वांछित सूचना एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख इस अनुरोध के साथ अपलोड कर प्रेषित है कि कृपया विषयगत प्रकरण में आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांकः– 104 /11–सी–FP/UP/Road/25904/2017, दिनांकित।

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य वन संरक्षक, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
2. प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, उन्नाव।
3. सहायक अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, उन्नाव।

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, लखनऊ मण्डल, उ0प्र0, लखनऊ

पत्रांकः– 136 /14–10–4 , लखनऊ, दिनांक 11 जुलाई, 2023

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

Ad.S.O.
08
ccf/Nodal
SA-0.
12/07/23

विषयः– **जनपद–उन्नाव मे प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग द्वारा दही चौकी पावर हाउस से अग्निशमन प्रशिक्षण केन्द्र दोस्तीनगर–उन्नाव तक बाईपास रोड के निर्माण में प्रभावित 7.3624 हे0 आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 25 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध मे।**

सन्दर्भः– भारत सरकार की पत्र संख्या–8बी/यूपी/06/104/2023/एफसी/182 दिनॉक–14.06.2023।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के कम में प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 वन प्रभाग, उन्नाव, ने भारत सरकार द्वारा लगायी गयी आपत्तियों की निराकरण आख्या/अभिलेख अपने पत्रॉक–53/14–1 दिनॉक–05.07.2023 के द्वारा निम्नानुसार उपलब्ध कराया गया है।

क0सं0	आपत्ति	निराकरण आख्या
1	Site inspection of DFO for area proposed for diversion needs to be submitted. When was the exiting road constructed? Documentary evidence regarding the same need to be provided.	प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 वन प्रभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि याचक विभाग ने अपने पत्रॉक–1756/ए–1 दिनॉक–30.06.2023 से प्रभागीय निदेशक, उन्नाव को अवगत कराया गया है कि टीकरगढ़ी भदेसा सुदेशाबहादुरपुर मार्ग का निर्माण उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम इकाई–21 द्वारा वर्ष 2016–17 में किया गया हैं। जिसका हस्तान्तरण लो0नि0वि0 को दिनॉक–25.04.2017 को किया गया। अभिलेख संलग्न है। पुनः मार्ग की मरम्मत/नवीनीकरण का कार्य वर्ष 2016–17 में लो0नि0वि0 द्वारा किया गया है। उल्लेखनीय है कि यह मार्ग वन विभाग से आच्छादित भूमि पर स्थित नही है। अभिलेख संलग्न है।
2	As per proposal no of tree proposed to be felled is 25 but as per kml file submitted more than 25 trees are visible on area proposed for diversion. This also needs to be re-accessed.	प्रस्तावित मार्ग का दिनॉक–06.06.2023 को पुनः संयुक्त निरीक्षण उप प्रभागीय वनाधिकारी, उन्नाव एवं सहायक अभियन्ता, प्रान्तीय निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 द्वारा किया गया, सम्बन्धित के द्वारा प्रभागीय निदेशक, उन्नाव को अवगत कराया गया है कि वर्तमान में 376 वृक्ष प्रभावित हो रहे है। संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट तथा वृक्षों की व्यासवार श्रेणी संलग्न है।

अतः अनुरोध है कि उक्त सम्बन्ध मे अग्रेतर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।

भवदीया,

(रेणु सिंह)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/
मुख्य वन संरक्षक
लखनऊ मण्डल उ0प्र0, लखनऊ

पत्रॉक– / उक्तदिनॉकित

प्रतिलिपिः–प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 वन प्रभाग, उन्नाव को पत्रॉक–53/14–1 दिनॉक–05.07.2023 के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(रेणु सिंह)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/
मुख्य वन संरक्षक
लखनऊ मण्डल उ0प्र0, लखनऊ

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, उन्नाव
पत्रांक 53 /14—1 दिनांक, 05 जुलाई, 2023

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
लखनऊ मण्डल, उ0प्र0, लखनऊ

विषयः— जनपद उन्नाव में प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग द्वारा दही चौकी पावर हाउस से अग्निशमन प्रशिक्षण केन्द्र दोस्तीनगर—उन्नाव तक बाईपास रोड के निर्माण में प्रभावित 7.3624 हे0 आरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 25 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः— भारत सरकार की पत्र सं0—8बी / यूपी / 06 / 104 / 2023 / एफसी / 182 दि0—14.06.2023

महोदया,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र जो अपर मुख्य सचिव पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन को सम्बोधित तथा आपको एवं अधोहस्ताक्षरी को पृष्ठांकित है, के क्रम में विषयगत प्रकरण में भारत सरकार द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण कर आख्या 04—04 प्रतियों में संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

क्र0सं0	आपत्तियाँ	निराकरण
1	Site inspection report of DFO for area proposed for diversion needs to be submitted. When was the existing road constructed? Documentary evidence regarding the same need to be provided.	याचक विभाग ने अपने कार्यालय पत्रांक—1756 / ए—1 दि0—30.06.2023 द्वारा अवगत कराया कि टीकरगढ़ी भदेश्वर सुदेशाबहादुरपुर मार्ग का निर्माण उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम इकाई—21 द्वारा वर्ष 2006—07 मे किया गया है। जिसका हस्तान्तरण लो0नि0वि0 को दिनांक 25.04.2007 को किया गया। (अभिलेख संलग्न है।) पुनः मार्ग की मरम्मत / नवीनीकरण का कार्य वर्ष 2016—17 में लो0नि0वि0 द्वारा किया गया है। उल्लेखनीय है कि यह मार्ग वन विभाग से आच्छादित भूमि पर स्थित नहीं है। (अभिलेख संलग्न है।)
2	As per proposal no. of tree proposed to be felled is 25 but as per kml file submitted more than 25 trees are visible on area proposed for diversion. This also needs to be re-accessed.	प्रस्तावित मार्ग का दिनांक 06.06.2023 को पुनः संयुक्त निरीक्षण उपप्रभागीय वनाधिकारी, उन्नाव तथा सहायक अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, उन्नाव द्वारा किया गया, सम्बन्धित के द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान समय में 376 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं। संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट तथा वृक्षों की व्यासवार श्रेणी संलग्न है।

अतः रिपोर्ट आपकी सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक— उपरोक्तानुसार।

भवदीया,

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग,
उन्नाव

पत्रांक /समदिनांक

प्रतिलिपिः— मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ को उनके कार्यालय की पत्र सं0—3965 / 11—सी—एफपी / यूपी / रोड / 25904 / 2017 दि0—16.06.2023 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः— सहायक अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, उन्नाव को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग,
उन्नाव

939

प्रभावित वृक्षों की व्यासवार श्रेणी

प्रपोजल संख्या–FP/UP/Road/25904/2017

सहायक अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, उन्नाव द्वारा अग्निशमन प्रशिक्षण केन्द्र दोस्तीनगर, उन्नाव तक प्रभावित 7.3624 हे0 आरक्षित वनभूमि पर प्रभावित 376 वृक्षों की व्यासवार, प्रजातिवार, वैज्ञानिक नाम सहित सूची निम्न प्रकार है–

क्र0 सं0	वैज्ञानिक नाम	लोकल नाम	0–30 सेमी0	31–60 सेमी0	61–90 सेमी0	91–120 सेमी0	121–150 सेमी0	150 से ऊपर
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Acasia rabica	दे0 बबूल	0	0	0	0	01	0
2	Prosopis juliflora	प्रोसोपिस	78	238	20	04	01	0
3	Azadirachta indica	नीम	06	08	0	01	0	0
4	Zizyphus mauritiana	बेर	0	2	0	0	0	0
5	Ficus religiosa	पीपल	0	0	0	0	01	0
6	Holoptelia integrifolia	चिलबिल	02	03	0	0	0	0
7	Leucaena leucocephala	सुबबूल	02	04	0	0	0	0
8	Dalbergia sissoo	शीशम	0	02	01	0	0	0
9	Ficus lacor	पाकड़	0	0	01	0	0	0
10	Butea monosperma	ढाक	0	0	01	0	0	0
योग–			88	257	23	05	03	0
महायोग–			376					

Ro(Unnao)

उप प्रभागीय वनाधिकारी
उन्नाव

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग,
उन्नाव

संयुक्त जांच आख्या

दिनांक :

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ, द्वारा दिनांक 30.05.2023 को आहूत की गई क्षेत्रीय सशक्त समिति की वीडियों कान्फ्रेसिंग में जनपद उन्नाव के अन्तर्गत प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 उन्नाव द्वारा दही चौकी पावर हाउस से अग्निशमन प्रशिक्षण केन्द्र दोस्तीनगर–उन्नाव तक बाईपास रोड के निर्माण में प्रभावित 7.3624 हे0 आरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 25 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में दिये गये निर्देशों के क्रम मे दिनांक 06.06.2023 को उपप्रभागीय वनाधिकारी, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, उन्नाव एवं सहायक अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, उन्नाव द्वारा के0पी0 वर्मा, वन दरोगा (सेक्शन इंचार्ज) उन्नाव रेंज के साथ मार्ग में आच्छादित हो रही वन भूमि एवं मार्ग निर्माण में बाधक वृक्षों का निरीक्षण किया गया, जिसकी संयुक्त निरीक्षण आख्या का विवरण निम्नवत् है:–

निरीक्षण के दौरान के0पी0 वर्मा, वन दरोगा (सेक्शन इंचार्ज) उन्नाव रेंज एवं अवर अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि, उन्नाव को मार्ग निर्माण में प्रभावित वनभूमि में वृक्षों/झाड़ियों का सर्वे कराने के निर्देश दियें गये हैं, जिसके क्रम में क्षेत्रीय वन अधिकारी, उन्नाव रेंज ने अपने पत्र सं0–922/22–1 दिनांक 14.06.2023 (छायाप्रति संलग्न हैं) द्वारा अवगत कराया, कि वर्तमान में मार्ग निर्माण मे आच्छादित 7.3624 हे0 क्षेत्रफल मे कुल 376 वृक्ष/झाड़ियां बाधक है। उल्लेखनीय है कि पूर्व में सर्वे वर्ष 2017 में किया गया था, जिसमें कुल 25 वृक्ष/झाड़ियां थी। परन्तु वर्ष 2017 से वर्ष 2023 तक इतना अधिक समय व्यतीत हो जाने तथा आच्छादित क्षेत्रफल में कोई कार्य न होने के कारण मार्ग के दोनो तरफ वृक्षों/झाड़ियो की संख्या में वृद्धि हो गई है।

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
उन्नाव

उपप्रभागीय अधिकारी
सामाजिक वानिकी प्रभाग
उन्नाव

931

कार्यालय अधिशाषी अभियंता
निर्माण खण्ड नं0–1, लो0नि0वि0,
उन्नाव

पत्रांक :

दिनांक

सेवा में,

परियोजना प्रबन्धक
उत्तर प्रदेश, राजकीय निर्माण निगम लि0, इकाई–21,
लखनऊ।

विषयः विश्व बैंक द्वारा संचालित सोडिक–2 योजना के अन्तर्गत जनपद उन्नाव में नवनिर्मित मार्ग टीकर गढी भदेशा सुदेशाबहादुर मार्ग को हस्तगत कर सूचित करने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः आपका पत्रांक सं0 : 603/सोडिक–2 रा0नि0नि0/ल0इ0–21/2005 एवं पत्र सं0: 367/सोडिक–2 /रा0नि0नि0/ल0इ0–21 2007 दिनांक 16.04.2007।

महोदय,

उपरोक्त विषयक एवं सन्दर्भित आपके पत्र के अनुपालन में प्रेषित उक्त मार्ग से संबंधित हस्तांतरित प्रपत्र 4 नं0 सहित टीकर गढी भेदशा से सुदेशावहादुर मार्ग लम्बाई 2.215 किमी0 जिसका निर्माण कार्य उत्तर प्रदेश रा0नि0नि0 लि0 द्वारा किया गया है। वर्तमान में इस खण्ड द्वारा इस मार्ग का यथास्थिति में टेकओवर कर लिया गया हैं। उक्त मार्ग का कार्य भार प्रमुख अभियंता (आरए/सोडिक) लो0नि0वि0 लखनऊ के कार्यालय ज्ञाप सं0 02/टी0सी0 30 डब्लू0बी0 (सोडिक)/एच0ओ0/03 दिनांक 03.01.2005 के अनुपालन में किया गया है।

अधिशाषी अभियंता
निर्माण खण्ड नं0–1, लो0नि0वि0
उन्नाव

पत्रांक : 951/E-8

दिनांक: 25-5-07

प्रतिलिपि : 1. अधीक्षण अभियंता, उन्नाव वृत्त, लो0नि0वि0, उन्नाव को सूचनार्थ।
2. सहायक अभियंता (द्वितीय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. अवर अभियंता श्री एस0के0 श्रीवास्तव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. अवर अभियंता (प्रावै0) को मार्ग परिलेख में प्रविष्टि हेतु।

24/5/07
अधिशाषी अभियंता
निर्माण खण्ड नं0–1, लो0नि0वि0
उन्नाव

UPRNN 23-01-07

...उ0प्र0

लो0नि0वि0 लखनऊ

(यातायात वर्ग)

5

पत्रांकः-।। सीजी/02 रा0स0नि0(आवंटन-5054)/16-17 दिनांकः-3/01/2017

सेवा में,

गुख्य अभियन्ता,
मध्यक्षेत्र
लो0नि0वि0, लखनऊ।

विषयः-वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान सं0-58 लेखाशीर्षक 5054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से जनपद उन्नाव में टीकरगढ़ी बिरची मार्ग से भदेसा (सुदेसा बहादुरपुर) सम्पर्क मार्ग का पुर्ननिर्माण का कार्य हेतु वित्तीय स्वीकृति एवं धनांवटन।

सन्दर्भः-शा.सं0:- 06 /2017 /1808 रासनि /23-1-16-895 रासनि/16 दिनांक 2.1.2017

कृपया उपरोक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 02.01.2017 की छायाप्रति का अवलोकन करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 मे राज्य सड़क निधि में अनुदान संख्या-58 लेखाशीर्षक 5054 (आयोजनागत) के अन्तर्गत सड़कों के पूंजीगत मद में निम्नलिखित विवरणानुसार जनपद उन्नाव में टीकरगढ़ी बिरची मार्ग से भदेसा (सुदेसा बहादुरपुर) सम्पर्क मार्ग का पुर्ननिर्माण का कार्य हेतु लागत रू0 28.22 लाख (रू0 अठ्ठाइस लाख बाईस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ रू0 2.82 लाख (रू0 दो लाख बयासी हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त की गई है, जिसका आंवटन निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन निम्न तालिका के अनुसार किया जाता है:-

धनराशि :-रू0 लाख में

क्र. सं.	खण्ड का नाम	मार्ग का नाम	लम्बाई (किमी)	स्वीकृत लागत	वित्तीय वर्ष 2016-17 में आवंटन
1	2	3	4	5	6
1	निख-1 उन्नाव	टीकरगढ़ी बिरची मार्ग से भदेसा (सुदेसा बहादुरपुर) सम्पर्क मार्ग का पुर्ननिर्माण का कार्य। (ग्रा0मा0)	2.215	28.22	2.82
		योग :-	2.215	28.22	2.82

1- प्रायोजना की द्विरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/ कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है। यदि द्विरावृत्ति पायी जाय तो उस स्वीकृति को निरस्त कराते हेतु सम्बन्धित कार्य पर आवंटित धनराशि शासन को तत्काल समर्पित की जाय।

2- प्रस्तगत कार्य को उस समय तक प्रारम्भ न किया जाय और न ही उन पर कोई व्यय भार लिया जाय जब तक कि स्वीकृत लागत के अन्तर्गत विस्तृत आगणन गठित कर उस पर सक्षम अधिकारी द्वारा प्राविधिक स्वीकृति प्रदान न कर दी जाय। यदि यह कार्यवाही सुनिश्चित नही की जाती है तो सम्बन्धित उत्तरदायित्व मुख्य अभियन्ता /अधीक्षण अभियन्ता /अधिशासी अभियन्ता का होगा।

3- अधिष्ठान व्यय की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष ही जमा की जायेगी। अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के संशोधित शासनादेश सं0 ए-2-1608/दस-2014-74(4) /75 दिनांक 11.11.14 द्वारा जारी संशोधित /परिवर्तित व्यवस्था के अनुसार राजकीय विभागों द्वारा कैश क्रेडिट लिमिट (सी0सी0एल0) प्रणाली व डिपार्टमेंट क्रेडिट लिमिट (डी0सी0एल0) प्रणाली के अन्तर्गत किए जाने वाले कार्यों पर दिनांक 01.04.2014 से सेन्टेज कार्यांश (लागत 100) का 6.875 प्रतिशत सेन्टेज /अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं0 बी-1-901 /दस -2011-231/2011 दिनांक 21.03.2011 के संलग्नक में प्रदर्शित विभाग के प्राप्ति लेखाशीर्षक "1054-00-800-05-00-00" में ट्रान्सफर इंट्री द्वारा क्रेडिट करके जमा की जायेगी।

4- लेबरसेस की एक प्रतिशत (1%) धनराशि इस शर्त के अधीन होगी की श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

5- मूल्य ह्रास आरक्षित निधि की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत /आंवटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष ही जमा की जायेगी। मूल्य ह्रास आरक्षित निधि की धनराशि शासनादेश सं0 3260(1) /23-9-05-25-20 एसी/05, दिनांक 21.09.2005 एवं शासनादेश सं0-313 /23-9-2013-20 एसी/04 टीसी, दिनांक 14.03.13 में की गई व्यवस्था के अनुसार लेखाशीर्षक "1054-सड़क तथा सेतु-800 अन्य प्राप्तियां-04-टूल्स एवं प्लाण्ट की प्राप्तियाँ" में जमा करायी जायेंगी।

6- प्रस्तगत कार्य हेतु आंवटित धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च 2017 तक कर लिया जाय। कार्य सम्पादन के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण पत्र दिनांक 30.04.2017 तक शासन को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दिया जाय।

7- प्रस्तगत कार्य हेतु आंवटित धनराशि के सापेक्ष व्यय वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों /शापों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों, स्थायी आदेशों आदि तथा सड़क निधि नियमावली में किए गए प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये तथा किसी भी दशा में प्रस्तगत कार्य हेतु आंवटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में न किया जाय।

8- राज्य सड़क निधि हेतु गठित उ0प्र0 राज्य सड़क निधि प्रबन्धन समिति द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं /प्रयोजनों के लिए ही स्वीकृत /आंवटित धनराशि का उपयोग किया जायेगा। यह सुनिश्चित किया जाय कि जिन प्रयोजनों हेतु सड़क निधि से धनराशि स्वीकृत हुई है यह उसी प्रयोजन हेतु व्यय की गयी है।

9- उक्त कार्य निर्धारित व अनुमोदित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप सम्पादित कराये जाय ताकि उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि आगणन में किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए अधी0अभि0 एवं अधिशासी अभियन्ता उत्तरदायी होंगे।

10- इस निधि से स्वीकृत कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति प्रत्येक माह शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

11- विभाग द्वारा आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

6

क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, इस आवंटन आदेश की प्रति अपने स्तर से संबंधित खण्डों एवं वृत्तों को तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय से इंगित कि यदि उपरोक्त मार्ग पर आवंटन गलत खण्ड को हो गया है तो तत्काल धनराशि का समायोजन कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करें। जिस मार्ग / कार्य हेतु धनराशि आवंटित की जा रही है उस मार्ग / कार्य को उतनी ही लम्बाई / भाग में कार्य किया जाय जिससे कि वह भाग / लम्बाई आवंटित धनराशि के भीतर अन्तिम रूप तक पूर्ण हो जाय।

सन्दर्भित शासनादेश में उल्लिखित समस्त शर्तें यथावत् लागू रहेंगी।

उक्त पर होने वाला व्यय प्रथमतः चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 के अनुदान संख्या–58 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 5054–सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय–आयोजनागत–04–जिला तथा अन्य सड़कें–337–सड़क निर्माण कार्य–58–राज्य सड़क निधि से सड़कों का निर्माण /सुदृढ़ीकरण/चौड़ीकरण–24–वृहत निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा और अन्ततः लोक लेखे के "लेखाशीर्षक–8225–सड़क एवं सेतु निधि–02–राज्य सड़क एवं सेतु निधि–101–राज्य सड़क व सेतु निधि–01–राज्य सड़क निधि" में डेबिट करते हुए समतुल्य धनराशि अनुदान सं0–58 के "भाग–4 के वसूलियों–लेखाशीर्षक 5054–सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय–आयोजनागत–04–जिला तथा अन्य सड़कें–337–सड़क निर्माण कार्य–58–राज्य सड़क निधि से सड़कों का निर्माण /सुदृढ़ीकरण/चौड़ीकरण (8225) –24–वृहत निर्माण कार्य" में जमा किया जायेगा।

बजट कोड 5054 04 337 58 00 24 आंवटित धनराशिः–2.82 लाख

उक्त धनराशि की प्रविष्टि बजट कन्ट्रोल रजिस्टर सं0 के पृष्ठ सं0 54 पर कर ली गई है। वित्त नियंत्रक कार्यालय प्रमुख अभियन्ता लो.नि.वि. लखनऊ

4/3 B

भवदीय

(एस0के0 श्रीवास्तव)
मुख्य अभियन्ता (मु0–1)
लो0नि0वि0 लखनऊ

संलग्नक–सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 02.01.2017 की प्रति।

<u>प्रतिलिपि संलग्न तालिका सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–</u>

1– निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0शासन, लखनऊ।
2– निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0शासन, लखनऊ।
3– विशेष सचिव, लो0नि0अनु0–1 एवं 10, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को ।
4– महालेखाकार–प्रथम (निर्माण), उ0प्र0, इलाहाबाद।
5– जिलाधिकारी, उन्नाव।
6– सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, निखं–1 लो0नि0वि0 उन्नाव।
7– वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0, लखनऊ को उपरोक्तानुसार साख–सीमा सम्बन्धित कोषागार/मुख्य अभियन्ता /सम्बन्धित खण्ड को नियमानुसार स्पीड पोस्ट /रजिस्टर्ड पोस्ट /विशेष संदेश वाहक द्वारा प्राप्त कराया जाना सुनिश्चित करने हेतु। कृपया खण्ड की मांग/आवश्यकतानुसार ही सी0सी0एल0 जारी करने की व्यवस्था करें।

(संजय कुमार श्रीवास्तव)
अधिशासी अभियन्ता (यातायात)
लो0नि0वि0,लखनऊ

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH

1

317

Estimater _ Project No: 2015 _ 16

LOK NIRMAN VIBHAG

Name of Circle: Unnao Circle,PWD, Unnao

Name of Division: CD-1 , PWD, Unnao

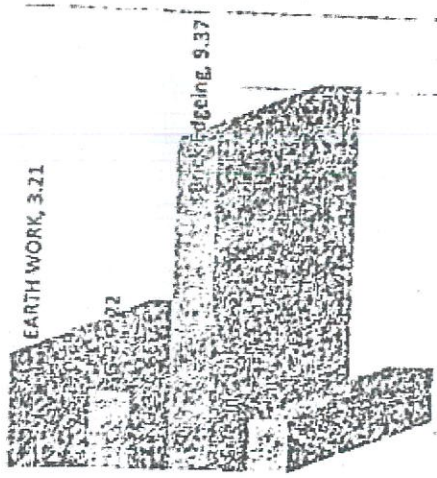

	1	2
EARTH WORK	3.21	1.79%
G.S.B	0.69	13.35%
G-2	2.22	40.15%
G-3	0.86	26.04%
Brick Edgeing	9.37	1.81%
Srfacing	0	33.86%
Misc	1.54	4.05%

Name of Road : Re-Construction of Teekar gadi Birchi to Bhadesa (Sudesh Bahadurpur) Link Road.

Road Length 2.215 Km **Total Cost** 28.22 Lacs

ABSTRACT OF COST

Name of Road :-Re-Construction of Teekar gadi Birchi to Bhadesa (Sudeshabahadurpur) Link Road

S.No.	Item of Work	Amount in Lacs
1	2	3
1	Cost of Construction	~~27.95~~ 25.80
2.	Dep. Value + Est charge. (1.50+6.875)%	2.16
3	CESS 1%	~~0.29~~ 0.26
	Total	~~28.23~~ 28.22
	Say	28.22 Lakh's

A.E.
CD-1,PWD,
Unnao

E.E.
CD-1,PWD,
Unnao

प्राविधिक स्वीकृति रजिस्टर क्रमांक 354 वर्ष 2016-17 के अनुसार रु० 28.22 लाख (रु० अट्ठाइस लाख बाइस हजार मात्र) की प्राविधिक स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि संलग्न प्राविधिक टिप्पणी का अनुपालन सुनिश्चित करें

(श्रीपाल सिंह)
अधीक्षण अभियन्ता
उन्नाव वृत्त लो०नि०वि०
उन्नाव